

ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लाईन स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु टाईम टेबल:पहला दिन		
समय	सत्र सं० तथा विषय	साधन फैकल्टी (सर्व/श्री)
9.30-10.30	रजिस्ट्रेशन	
	सत्र-1	
10.30-11.30	भागीदारों का परिचय, कोर्स डिजाईन तथा समूह संरचना	
11.30-11.45	चाय का समय	
	सत्र-2	
11.45-12.15	विद्युत के मूल-सिद्धांत	
12.15-13.00	विद्युत वितरण प्रणाली तथा व्यवसाय की विशेषताएं तथा वितरण कंपनी कार्य तथा प्रकार्य	
13.00-13.30	लाईन स्टाफ के कार्य एवं उत्तरदायित्व	
13.30-14.30	लंच का समय	
	सत्र-3	
14.30-15.30	आर जी जी वी वाई तथा ए पी डी आर पी को समझना	
15.30-15.45	चाय का समय	
	सत्र-4	
15.45-17.00	लाईन निर्माण, सामग्री का विनिर्देशन, तथा उपकरणों के लिए मानक	
17.00-17.30	नई लाईन की कमीशनिंग	
17.30-18.00	लाईन निर्माण में क्या करें और क्या न करें पर सामूहिक चर्चा तथा उत्थापन	

ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लाईन स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु टाईम टेबल:दूसरा दिन		
समय	सत्र सं० तथा विषय	
9.30-10.30	पहले दिन का रिकैप तथा विद्युत में अनुभवों का आदान-प्रदान करना	
	सत्र-5	
10.00-11.30	अर्थिंग	
11.30-11.45	चाय का समय	
	सत्र-6	
11.45-13.30	वितरण ट्रांसफार्मरों का रखरखाव तथा मरम्मत	
13.30-14.30	लंच का समय	
	सत्र-7	
14.30-15.30	ग्राहक सेवा-सर्विस कनेक्शन	
15.30-15.45	चाय का समय	
	सत्र-8	
15.45-17.00	33/11 के वी सब स्टेशन, कंपोनेंटस् कैपेस्टर, पॉवर ट्रांसफार्मर	
17.00-17.30	लाईन रखरखाव – लाईन क्षतियां	
17.30-18.00	सामूहिक चर्चा, दिन के सत्रों का सारांश तथा अगले दिन का कार्यक्रम	

ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लाईन स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु टाइम टेबल:तीसरा दिन		
समय	सत्र सं० तथा विषय	
9.30-10.30	पहले-दूसरे दिन का रिकैप तथा अनुभवों का आदान-प्रदान	
	सत्र-9	
10.00-11.30	विद्युत चोरी – सर्तकता	
11.30-11.45	चाय का समय	
	सत्र-10	
11.45-13.30	सुरक्षा-दुर्घटना-बचाव	
13.30-14.30	लंच का समय	
	सत्र-11	
14.30-15.15	अग्नि शमन	
15.15-15.30	चाय का समय	
	सत्र-12	
15.30-16.15	फर्स्ट एड	
16.15-17.00	सामूहिक चर्चा - कार्य निष्पादन में सुधार परिमाणों के लिए कार्रवाई मर्दों को तैयार करना	
17.00-18.00	मूल्यांकन, समापन	

ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

कोर्स डिजाइन और निष्पादन

ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लाईन स्टाफ के प्रशिक्षण कार्यक्रम की यह समय-साधन अनुसूची सभी विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा, उनके संबंधित क्षेत्रों में लाईन स्टाफ के प्रशिक्षण, का कार्यान्वयन करने के लिए है। इसे तीन दिन के कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। इसके साथ टाईम टेबल और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संलग्न किया गया है। इस कार्यक्रम को स्थानीय सुविधा के अनुसार 20 प्रतिशत तक संशोधित किया जा सकता है। स्थानीय केस अध्ययन तथा यूटिलिटी अधिकारियों तथा लाईन स्टाफ की अंतःक्रिया बैठकों को विशेष वरीयता दी जाए। प्रत्येक कोर्स के दौरान विचार-विमर्श तथा कार्रवाई योग्य मद्दों को अभिलेखबद्ध किया जाए; तथा उनका उपयोग उत्तरवर्ती कार्यक्रम/कार्यक्रमों में किया जाए। विचार-विमर्श, प्रश्नोत्तरी तथा कार्रवाई मद्दों के सुझाव में प्राप्तांकों के मूल्यांकन के आधार पर कोर्स में पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आए रैंकरों को पुरस्कार दिए जाएं।

कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नवत हैं:

- i) लाईन स्टाफ, जिसमें एल एम, ए एल एम, लाईन निरीक्षक तथा वो जो लाईन के कुशल रखरखाव तथा उपभोक्ता संबंधों के लिए लाईन प्रकार्य कर रहे हैं सहित, को आवश्यक कौशल से विदित कराना।
- ii) लाईन स्टाफ को विद्युत वितरण व्यवसाय के समग्र अभिलक्षणों तथा आर जी जी वी वाई तथा ए पी डी आर पी से सुपरिचित कराना।
- iii) अधिग्रहण करने तथा रिपोर्ट अद्यतन के लिए ऑनलाईन पोर्टल के रूप में एम आई एस विकसित करना तथा इस कार्यक्रम से सभी संबंधितों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्लेटफार्म भी प्रस्तुत करना।

निरंतर सुधार के लिए विद्युत यूटिलिटीयों/प्रशिक्षण संस्थानों के कार्य

प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठन को निरंतर सुधार के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इन कार्यक्रमों से विदित कराने वाली विद्युत यूटिलिटी/प्रशिक्षण संस्थान अतिरिक्त सामग्री, विद्यमान सामग्री के आशोधनों, केस अध्ययन, प्रश्नोत्तरी, अभ्यासों, विडियो क्लिपिंगों, प्राप्त फीडबैक फार्म पर आशोधनों, 25 अथवा 50 प्वाइंटों के पैमाने पर सभी लाईन स्टाफ कर्मियों में श्रेष्ठ का निर्णय करने के लिए भागीदार लाईन स्टाफ के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली इत्यादि, को भेंज दें। प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति उपरांत एम आई एस से सी आई आर ई के अनुभव अनुसार, यह सहयोग अनिवार्य है, और उनका इन पहलुओं पर कोई योगदान न होने पर, वे विशेष रूप से उसे कह सकते हैं।

विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों से प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समाप्ति पर फीडबैक के आधार पर सी आई आर ई, यदि अपेक्षित होगा सावधिक रूप से, उपयुक्त आशोधनों को प्रकाशित करेगा ।

प्रशिक्षण कैलेंडर

विद्युत यूटिलिटियों, जिन्होंने आर ई सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कैलेंडर को निर्धारित तिथियों सहित अनुमोदन हेतु सी आई आर ई को भेजा जाए । यह एम आई एस का अंश तथा सभी पार्टनर विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य दस्तावेज है ।

ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लाईनमेन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

- **विद्युत के मूल-सिद्धांत**

वितरण अनुभाग का कार्य, उपभोक्ता, वितरण में प्रयुक्त सामान्य शब्दावली, विद्युत वितरण कंपनी, ट्रांसको/राष्ट्रीय ग्रिड से विद्युत की खरीद, उपभोक्ताओं को वितरण, कंपनी की परिसंपत्तियों अर्थात 33/11 के वी सब-स्टेशनों का रखरखाव, 33 के वी नेटवर्क विस्तार, विद्युत ट्रांसफार्मर क्षमता, 11 के वी नेटवर्क, वितरण ट्रांसफार्मर, एल टी नेटवर्क, उपभोक्ता मीटरिंग, उचित ग्राहक सेवा, वितरण प्रणाली ।

- **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई)**

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आर जी जी वी वाई) को अप्रैल-05 में शुरू किया गया जिसमें सभी अग्रगामी योजनाओं का विलय कर दिया गया था । कार्यक्रम के तहत 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है तथा ऋण के रूप में 10 प्रतिशत राज्य सरकारों को आर ई सी द्वारा दिया जाएगा । कार्यक्रम के लिए आर ई सी नोडल एजेंसी है । आर जी जी वी वाई के उद्देश्यों में सभी गांवों तथा घरों को नई परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत करना, सभी ग्रामीण आवासों को बिजली पहुंचाना, गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) रह रहे परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है ।

- **लाईन स्टाफ कार्य एवं उत्तरदायित्व**

वितरण के कार्यभार की नियुक्ति के दौरान लाईनमेन के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, निर्माण कार्य का निष्पादन करने के लिए नियुक्ति के दौरान लाईनमेन के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, सहायक लाईनमेन के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व ।

- **आर जी जी वी वाई तथा ए पी डी आर पी का अवबोधन**

वितरण रिफार्मर्स, ए पी डी आर पी का पुनर्गठन (आर- ए पी डी आर पी), कार्यक्रम कवरेज, भारत सरकार के ऋण का अनुदान में परिवर्तन, आर- ए पी डी आर पी सहायता के लिए पात्रता मानदंड, निधिकरण तंत्र, योजना, भारत सरकार के ऋण का अनुदान में परिवर्तन ।

- **लाईन निर्माण**

वोल्टेज रेगुलेशन, पोल खड़े करना-पोल खड़े करने के दौरान सावधानियां, गार्डिंग एवं गार्डिंग के प्रकार, कंडक्टर टाईप तथा इसके उपयोग, कंडक्टर जोड़ना-ज्वाइंटों के प्रकार, जंपरिंग।

- **नई लाईन की कमीशनिंग**

कमीशनिंग तथा सभी स्थानों पर सुरक्षा निरीक्षण, गार्डिंग इत्यादि की जांच करना, डेंजर बोर्ड को लगाना, फेस प्लेटें, खंभों पर अर्थिंग, एल ए हॉर्न अंतराल अथवा डी ओ जांच, फेस से फेस तथा फेस से न्यूट्रल के बीच इंसुलेशन रोधी की मेग्गर द्वारा जांच करना ।

- **अर्थिंग**

अर्थिंग तथा उसके प्रकार, लाईन एवं पोल अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, पाईप अर्थिंग, ज्वाइंट्स, अर्थ टेस्टर तथा अर्थ रेसिस्टर, 3 व 4 प्वाइंट प्रणाली-अर्थ रेसिस्टेंस का मापन ।

- **ट्रांसफार्मर**

ट्रांसफार्मर: आवश्यकता, प्रकार एवं अनुप्रयोग, ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण, ट्रांसफार्मर के पार्ट एवं अनुबंधी, ट्रांसफार्मरों का रखरखाव, तेल की जांच, ट्रांसफार्मर को चार्ज करने के दौरान अपनायी जाने वाली सावधानियां, ट्रांसफार्मरों के परीक्षण, ट्रांसफार्मर के खराब होने के कारण ।

- **ग्राहक सेवा - सर्विस कनेक्शन**

सामान्य ज्ञान, एच टी उपभोक्ता, एल टी उपभोक्ता, सर्वेक्षण, एल टी सर्विस कनेक्शन देने के लिए प्रक्रिया, फ्यूज श्रेणीकरण, सर्विस कनेक्शन का रखरखाव एवं आवधिक निरीक्षण, इंसुलेशन परीक्षण ।

- **लाईन रखरखाव - लाईन क्षति**

रखरखाव की अनिवार्यता, रखरखाव के प्रकार, फ्यूज श्रेणीकरण की आवश्यकता, फ्यूज श्रेणीकरण का योग्यता-क्रम, लाईन एवं गार्डिंग में निकासी, डी ओ फ्यूज का रखरखाव, वितरण बॉक्स का रखरखाव, तथा लाईन पेट्रोलिंग और मानसून पूर्व रखरखाव, एल टी लाइनें - एच टी लाईनें, टोंग टेस्टर एवं मेग्गर ।

- **बिजली चोरी, सतर्कता और सुरक्षा**

डायरेक्ट कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति के कनेक्शन काटने के कारण तथा पुनःकनेक्शन करना, प्रथम उपचार, सामान्य सुरक्षा सावधानी एवं सुरक्षा नियम, सुरक्षा के मूल-सिद्धांत संबंधी आधारीक घटक, दुर्घटनाओं के सामान्य कारण, चालू लाईन/उपकरण पर कार्य करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, सुरक्षा उपकरण एवं उपकरणों की सुरक्षा, ट्रांसफार्मर, सर्किट- ब्रेकर्स, सब-स्टेशन पैनल, टी एंड पी की सुरक्षा, परमिट से संबंधित नियम तथा महत्वपूर्ण नोटिस/सूचना, परमिट निर्गमन-प्राप्त करने तथा वापस करने की विधि, परमिट जारी करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, परमिट लॉग-इन, परमिट का निर्गमन एवं वापसी, बिजली का झटका तथा दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय, इलेक्ट्रोक्व्यूटेड व्यक्ति के लिए प्रथम उपचार ।

- **सुरक्षा - अग्नि शमन उपकरण**

अग्नि शमन उपकरण से संबंधी नियम, प्रथम उपचार बॉक्स तथा करंट लगने पर उपचार, अग्नि शामकों के उपयोग संबंधी अनुर्देश, पुनःस्थापन अथवा बिजली के झटके से ग्रसित व्यक्तियों के लिए अनुर्देश, विभिन्न प्रकार के अग्निशामक तथा उनके उपयोग, रक्षात्मक उपकरण के लिए लागू प्रावधान ।